फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 70/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/74) **श्रीमती देउबाई कुम्हार बनाम जिला कलक्टर, राजसमंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.10.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री अशोक वैष्णव - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. **श्रीमती देउबाई पत्नि स्व.श्री शंकर कुम्हार, निवासी सालोर, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमंद।** **-अपीलार्थी** **बनाम** 1. **राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, राजसमंद।** **-प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, राजसमंद के श्मशान हेतु भूमि आरक्षित किये जाने के आदेश क्रमांक प. 12/3(क)(22)राजस्व/2021/1071-75 दिनांक 25.06.2021**	

<u>निर्णय</u>

दिनांक 18.10.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर, राजसमंद के श्मशान हेतु भूमि आरक्षित किये जाने के आदेश क्रमांक प.12/3(क)(22)राजस्व/2021/1071-75 दिनांक 25.06.2021 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा तहसील नाथद्वारा के राजस्व ग्राम सालोर स्थित आराजी नम्बर 379 रकबा 2.17 बीघा किस्म बिलानाम सिवायजक काबिल काश्त भूमि में से 1.15 बीघा एवं ग्राम मल्लाखेडी स्थित आराजी संख्या 419 रकबा 2.15 बीघा बिलानाम सिवायचक काबिल काश्त भूमि में से 1.15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 3.10 बीघा भूमि को ग्राम पंचायत सालोर को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ''श्मशान'' हेतु राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 के तहत आरक्षित करने का प्रस्ताव मय अनुशंषा के प्रेषित किया। उक्त प्रस्ताव पर जिला कलक्टर, राजसमंद पर स्वीकृति जारी करते हुए उक्त प्रयोजनार्थ यानि श्मशान हेतु भूमि आरक्षित किये जाने के आदेश क्रमांक प.12/3(क)(22)राजस्व/2021/1071-75 दिनांक 25.06.2021 पारित किया।

जिला कलक्टर, राजसमन्द के उक्त आदेश दिनांक 25.06.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष मयाद बाहर एवं मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के प्रस्तुत की गई, जिस आपत्ति रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस दिनांक 13.10.2023 को सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मौखिक एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के विचारण व निर्णय मे वास्तविक तथ्यों पर ध्यान न देकर एवं प्रार्थीया को सुने बिना व वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के नाम दर्ज विचाराधीन प्रकरणों पर गौर किये बिना प्रकरण में अपीलार्थी के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 70/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/74) **श्रीमती देउबाई कुम्हार बनाम जिला कलक्टर, राजसमंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हितों के विरूद्ध किये आवंटन का कोई न्यायोचित आधार मौजुद नहीं हैं। विवादित भूमियों पर अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी श्री शंकर पिता भेरा का संवत् 2037 से पूर्व से निरन्तर एवं निर्बाध रूप से आधिपत्य चला आ रहा है तथा उक्त भूमियों को अपीलार्थी व उसके अन्य वारिसान के काबिज काश्त फसल बोते आ रहे है। अपीलार्थी के पूर्वाधिकारी शंकर का स्वर्गवास होने उपरान्त विवादित कृषि भूमियों पर उसके वैधानिक वारिसान का आधिपत्य होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी व उसके पूर्वाधिकारियों का 50 वर्षों से निरन्तर एवं निर्बाध आधिपत्य चला आ रहा है। उक्त भूमि अपीलार्थी द्वारा पिलाई हेतु कुआं खुदवाया गया जिससे अपीलान्ट व उसके अन्य वारिसान उक्त भूमि के खातेदार कृषक हो गये है। अपीलान्ट व उसके पुत्र अनपढ़ होने के साथ मजदुरी, कृषि कार्य करने व राजस्व की जानकारी नहीं होने से उक्त भूमियों को अपने नाम नहीं करा पाई। अपीलार्थी व उसके परिवार को आये दिन भुमाफियाओं की धमकी व उसको नुकसान कारित करने पर अपीलार्थी द्वारा सहायक कलक्टर, नाथद्वारा के समक्ष दिनांक 15.03.2017 को घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके मु.न. 14/2017 ई.दी होकर विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी का जबरन उक्त भूमि से हटाने को लेकर अपीलार्थी द्वारा पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश नाथद्वारा में भी आदेशात्मक आज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत स्पेसिफिक रिलिफ अधिनियम के तहत वाद एवं प्रार्थना पेश किया, जिसके मुकदमा नम्बर 35/19 एवं 39/19 है जो विचाराधीन है। इसी प्रकार अपीलार्थी ने अपने भूमियों पर नये सिरे से गांव में श्मशान हेतु आरक्षित करने से रोकने के लिए ग्राम पंचायत सालोगर व तहसीलदार नाथद्वारा के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश में स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा अन्तर्गत स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कराये जिसके मु.स. 61/2021 एवं 55/2021 है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। उक्त सभी वाद विचाराधीन होने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी को बिना सुने पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय सक्षम सम्बंधित तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा उक्त वादों की स्थिति एवं अपीलार्थी के कब्जे के संबंध में नहीं बताया गया। इसके अतिरिक्त उक्त ग्राम में पूर्व से एक श्मशान मौजुद है, जिस पर टीन शेड बना होकर उसका उपयोग उपभोग ग्रामीण कर रहे है। ऐसे में पारित आदेश विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होकर निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी का पक्षकार संयोजित नहीं करने से बिना सुने आदेश पारित करने पर एवं व्यथित व्यक्ति होने से अपील मय प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी के पेश की गई। उक्त आदेश परोक्ष पारित किये जाने से अपील ससमय पेश न हो सकी जिसकी जानकारी होती ही अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस के खण्डन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी राजकीय पेरोकार द्वारा कथन किया गया कि उक्त प्रकरण में अपीलार्थी व्यथित व्यक्ति नहीं है, जिससे उसे यह अपील पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। आंवटित आराजी अपीलार्थी की खातेदारी भूमि नहीं है, जिससे उसके कोई हक व अधिकार प्रभावित नहीं होते है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलार्थी का आरम्भ से थी अतः प्रस्तुत अपील मयाद बाधित भी है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया। अपीलार्थी अपने आपको अतिक्रमी बताता है इस संबंध में आपत्ति है कि विभिन्न न्यायालयों ने यह माना कि अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि पर कोई वेधानिक अधिकार प्राप्त नहीं होते है और राजकीय भूमि पर किये अतिक्रमण होने पर भी उस भूमि का अनाधिवासित भूमि माना जाता है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 70/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/74) **श्रीमती देउबाई कुम्हार बनाम जिला कलक्टर, राजसमंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया।

सर्वप्रथम हम अपील के साथ के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी पर निर्णय किया जाना उचित समझते है। अपीलार्थी द्वारा उक्त भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की प्रतियां प्रस्तुत की गई, जिनका उल्लेख निर्णय में आगे किया जा रहा है और अधीनस्थ न्यायालय समक्ष उसे पक्षकार नहीं बनाया गया, ऐसे में न्यायहित में अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र दफा 96 जादी स्वीकार किया जाकर हस्तगत अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अपीलाधीन आदेश अपीलार्थी के परोक्ष पारित किये जाने से न्यायहित में अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम स्वीकार की जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत सालोर द्वारा ग्राम सालोर व ग्राम मल्लाखेड़ी में श्मशान हेतु भूमि आवंटन/आरक्षित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा प्रस्ताव तैयार कर जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रस्ताव के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त प्रस्ताव के साथ संलग्न चैक लिस्ट के सभी कॉलम में इन्द्राज नहीं किया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण कॉलम जिसमें 'क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है या स्थगन आदेश जारी तो नहीं है?' को रिक्त रखा गया, कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई। इसी प्रकार सार्वजनिक घोषणा किये जाने का कॉलम संख्या 28 में भी कोई अंकन नहीं किया गया, यानि कि इस कार्यवाही हेतु कोई उदघोषणा भी नहीं की गई। भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी में भी अतिक्रमण नहीं किये जाने का उल्लेख है, जबकि उक्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा होने के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिनका उल्लेख अनुवर्ती अनुच्छेद में किया जा रहा है। इस प्रकार यह प्रकट होता है कि उक्त प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित किये जाने में प्रस्तात में सभी आवश्यक इन्द्राजात नहीं किये गये है, इन्हे रिक्त रखा गया है, जबकि इन बिन्दुओं पर अपेक्षित जांच की जानी चाहिए थी जो नहीं की गई।

अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ विभिन्न न्यायालय में दायर प्रकरणों की प्रतियां प्रस्तुत की गई जिसके अवलोकन यह प्रकट होता है कि उक्त प्रकरण संबंधित न्यायालयों में विचाराधीन है। उपरोक्त भूमियों के संबंध में उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा समक्ष दर्ज प्रकरण संख्या 14/2017 बउनवानी जगदीश बनाम सरकार बाबत घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का दर्ज होकर विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश नाथद्वारा में भी आदेशात्मक आज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत स्पेसिफिक रिलिफ अधिनियम के तहत वाद एवं प्रार्थना पेश किया, जिसके मुकदमा नम्बर 35/19 एवं 39/19 है जो विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने अपने भूमियों पर नये सिरे से गांव में श्मशान हेतु आरक्षित करने से रोकने के लिए ग्राम पंचायत सालोगर व तहसीलदार नाथद्वारा के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश में स्थाई निषेधाज्ञा एवं आदेशात्मक आज्ञा अन्तर्गत स्पेसिफिक रिलिफ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज दिनांक 17.04.2021 को कराये जिसके मु.स. 61/2021 एवं 55/2021 है। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2021 को आराजी संख्या 379 पर स्थगन भी जारी किया गया है। उपरोक्त सभी वादों के संबंधित दस्तावेजात से यह तो स्पष्ट है कि वक्त अपीलाधीन आदेश, विवादित आराजीयात के संबंध में विभिन्न वाद विचाराधीन होकर लम्बित थे। यहां तक कि एक प्रकरण तो स्वयं उपखण्उ अधिकारी, नाथद्वारा के न्यायालय में विचाराधीन था। जैसा की उपरोक्त में अंकित किया गया है कि प्रस्ताव के साथ सभी आवश्यक जानकारियों जिसमें वाद लम्बित होने की महत्वपूर्ण जानकारी भी दी जानी थी, जिला कलक्टर, राजसमंद समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा एक अविधिक आदेश पारित कर दिया गया। माननीय

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 70/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/74) **श्रीमती देउबाई कुम्हार बनाम जिला कलक्टर, राजसमंद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2021 में भी अपीलार्थी के आराजी संख्या 379 पर कब्जा होने का अंकन किया, जिससे प्रस्तावत में अतिक्रमण नहीं होने के कथन का खण्डन होता है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा विभिन्न निर्णयों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकारों के मध्य यदि विवादित भूमि के सम्बन्ध में दावे विचाराधीन है तो दावों के निर्णय होने तक राजस्व मामलों से संबंधित कार्यवाही स्थगित रखी जानी चाहिए ताकि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक विवाद न बढ़े एवं न ही वाद बाहुल्यता को बढ़ावा मिलें। इस प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव में वास्तवित स्थिति अंकित नहीं की गई, लम्बित वादों एवं अपीलार्थी के कब्जे के संबंध में गलत रिपोर्ट की गई। इस प्रकार की गलत रिपोर्ट किया जाना वाद बाहुल्यता को बढ़ावा देती है, जिसका परिणाम हस्तगत प्रकरण है। यदि प्रस्ताव में जिला कलक्टर राजसमंद समक्ष वास्तविक तथ्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती तो जिला कलक्टर स्तर से ऐसा त्रुटिपूर्ण आदेश पारित नहीं होता। उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2021 का यह न्यायालय समर्थन नहीं करता है जिससे उक्त आदेश दिनांक 25.06.2021 निरस्तनीय है। अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट स्वीकार** की जाती है। जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.06.2021 निरस्त किया जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (महावीर खराड़ी, R.A.S.) अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	